

- ✓ संस्था को (संस्था) प्राथमिक शिक्षा परिवर्धन एवं उच्च समितिओं, संस्थाओं को सम्बन्धित किया जाने।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिवर्धन द्वारा आवेदनित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को सम्बन्ध-सम्बन्ध पर निर्गत आदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बन्धित सुझाव प्रदान कराया होगा।
- ✓ संस्था को एडमिनिस्ट्रेशन से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधि/निर्देशों/अधिनियमों/आदेशों/निर्देशों एवं निदेशात्मक प्रावधानों/विधि, 2000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिवर्धन, 2000 तथा प्राथमिक शिक्षा परिवर्धन, 2000 द्वारा बनाये गये निर्देशों, अधिनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पदवीक्रम की संरचनाएँ यदि बी.बी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त आवश्यकताएँ संस्था पर होंगी और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिवर्धन, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिवर्धन, प्राथमिक शिक्षा निदेशात्मक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बाध बाधर किया जाता है तथा बाध बाध के लिये न तो न्यायपालिका द्वारा किसी प्रकार की प्रविष्टता संबंधी आदेश निर्गत किया जायेगा है तो समस्त प्रविष्टता संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पदवीक्रम संशोधित करने वाली समिति को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिवर्धन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदनित करने के लिए निर्देशात्मक एवं अनुमोदन प्राप्त कर परिवर्धन कार्यपालक को उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की कोटिगतियों को मान्यता से कथंका संस्था स्तर पर लीये प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनकर आदेशों का अनुमोदन करवा आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समाप्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक सूचनाएँ, स्टाफ, फीस-अवकाश, कक्षाएँ, आदि किया जाने वाला सुझाव, प्रावधान सुझाव आदि का दिवस उपलब्ध करवाना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रवर्धन हेतु आवश्यक आवश्यक उपलब्ध कराने के साथ वेबसाइट को संस्था में सम्बन्धित आवश्यक आवश्यक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित है कि संस्था में प्रस्तावित/संशोधित पदवीक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण स्थिति को संस्था उपलब्ध कराने गये अनिवार्य, सुवि-सर्व, सर्वोपर, पर्यवेक्षण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पदवीक्रम को संशोधन में प्रयोग किया जाता है और परिवर्धन को चलाने अनिवार्य होती है कि संस्था संशोधन का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की संस्थागत समाप्त किये जाने की अनुमति भी जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित छात्रों का अनुमोदन न किये जाने अथवा छात्रों का उत्तराधिकार किये जाने की स्थिति में विद्यमानानुसार अनुमोदनकार्य कार्यवाही की जायेगी।

(सतीश कुमार सिंह)
सचिव

पू0सं0- प्राथिव/परिवर्धन संस्था/2018/1133-2282

तद दिनांक: 15-5-2018

प्राथमिक-प्रधानाचार्य/निदेशात्मक, सीजीएमएल कॉलेज ऑफ़ बालीक ज्ञान केंद्र, सीजीएमएल, अलीगढ़ रोड
आगरा।

(सतीश कुमार सिंह)
सचिव

कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राशिय/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-8-2020

-कार्यालय ज्ञाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सविधि द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आबेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/पदेश क्षमता इन्टि सहित अन्य पदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुमोदन में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन इजी० पाठ्यक्रम सांगलित करनी कार्य पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया -

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इजी० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएँ जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, वे ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु ग्वायबत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार इनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/पदेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सविधि द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था का प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित पदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	संस्थान का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित पदेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित पदेश क्षमता
1	डी०एच०एल०एल० कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा-इंजीनरी (सी०ई०) लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सिद्धि इन्जी० सिद्धि इन्जी० इन्वॉन्टेल इन्फुएन्स इन्फॉर्मेशन इन्जी० इन्वॉन्टेल इन्जी० इन्वॉन्टेल इन्जी० इन्वॉन्टेल इन्जी० इन्वॉन्टेल इन्जी० इन्वॉन्टेल इन्जी०	40 30 60 30 30 30 30 30	40 30 60 30 30 30 30 30	

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेन्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्जी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22,800.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उत्तरांचल के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं को शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनार्थ प्रणवी

होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं एवं सम्बद्ध किया जाना; विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित (मात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा; सीटों में रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0प्र0/ए0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, समुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी0सी0आई0 नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से दिल्ली भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, समुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई गंदे दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को समुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यान्वयन प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपसन्ध प्रेषणा होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (कार्यान्वयन) के पाठ्यपत्रों अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपना वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसा संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रक्षण सौजन्य-पत्रिका, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का दिवस उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त मातायरण उपलब्ध कराने के साथ रीति प्रोत्तने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के तत्पश्चात् उपसन्ध करायें गये अनिर्लेख, भूनि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपसन्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का पालन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(का० आर०के० सिंह)
सचिव

पृ०स०- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141 तददिनांक: 15-09-2020
प्रतिलिपि:-प्रधानाचार्य/निदेशक, सी0बी0ए0ए0 कॉलेज ऑफ एजोटेकनिक, बिल्डिंग-पॉइंट, पी0सी0 पोखर, अलीगढ़ रोड आग्रा।

(का० आर०के० सिंह)
सचिव

प्रस्ताव,

उच्च, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

नए प्रवेश कार्यक्रम

संख्या:- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2021/3637

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

प्रस्ताव का रूप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/एचमेंसी कन्वन्सल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक से समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित एवं संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सर्टी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1571-C B S COLLEGE OF POLYTECHNIC, VILL- POIYA, PEELI POKHAR, ALIGARH ROAD, AGRA

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENT & POLLUTION CONTROL)	30	30
3	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	30	30
5	MECHANICAL ENGINEERING (MAINTENANCE)	30	30
6	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
7	ELECTRONICS ENGINEERING	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ संस्था उ० प्र० लखनऊ द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमबाली 1982, सेमेस्टर विनियमबाली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30160.00/- प्रतिवर्ष, दो बर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो बर्षीय पाठ्यक्रमों (दो बर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त का अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश पत्राची होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सन 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की न्यूनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बन्धित किया जाना) विनियमबाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उक्त प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० के आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उक्त प्रदेश शासन द्वारा बन्दये गये विधिविनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बन्दये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में सम्बन्धित उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उक्त प्रदेश शासन को कोई भी दायर किया जाता है तथा दायर बाद के संबंध में सा, न्यायालय द्वारा किसी प्रस्तर की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्बन्धित संबंधित संस्था को भरनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०टी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हीं प्रवेश की (काउन्सिलिंग के प्रारंभ से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं बढान की अवधि।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत न्यूनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्बन्धित सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त छात्रावरण उपलब्ध कराने के साथ रीजिनिंग रोकने के सम्बन्ध में सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तुत/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के सम्बन्धित उपलब्ध कराने गये अग्निशुक्ति, भूमि-अवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धित किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, अवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० परिषद के मानकानुसार

उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संख्या की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।

✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किया जान अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार शंकर)

सचिव

पुस्तक संविधान संख्या/2021/3536-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिरिपि।

प्रधानाचार्य/निदेशक, C B S COLLEGE OF POLYTECHNIC, VILL-POIYA, PEELI POKHAR, ALIGARH ROAD, AGRA



(सुनील कुमार शंकर)

सचिव